

पत्र सं०-08/जसं(नि)देक-10/2006 अंश :-

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री उमेश प्रसाद सिंह, तदेन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम- 55 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 306 दिनांक- 24.01.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. चूँकि श्री सिंह दिनांक- 30.11.2008 को (विभागीय कार्यवाही संचालन के पूर्व ही) सेवानिवृत्त हो चुके थे। अतएव ऐसी स्थिति में सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम- 55 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को पेंशन नियमावली के नियम- 43बी में सम्पुर्णवर्तित किया जाता है।

800

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 22/8 राँची/दिनांक 12-05-17

प्रतिलिपि :- उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रभारी प्रशाखा-02), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, दुमका/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vinod
11/05/2017

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव